(५१)

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–कटनी P 786-I-17

घुर्रा आदिवासी वल्द सहदेव आदिवासी
निवासी लमतरा तहसील व
जिला कटनी — आवेदक

**विरूद्ध**

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला कटनी
(म.प्र.) — अनावेदक

दिनांक 4-3-17 को श्री के० के० द्विवेदी अभि० द्वारा प्रस्तुत।
4-3-17
50

**न्यायालय कलेक्टर, जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/अ–21/16–17 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

---

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेष अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा ग्राम लमतरा प.ह.नं. 23 राजस्व निरीक्षक मंडल मुड़वारा 2 तहसील कटनी स्थित भूमि खसरा नं. 123 रकबा 0.850 हैक्टर को विक्रय किए जाने की अनुमति तथा अभिलेख में दर्ज अहस्तांतरणीय प्रविष्टि को पृथक किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसे जिलाध्यक्ष द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिया गया है कि उक्त भूमि के विकय के पश्चात आवेदक के पास भूमि शेष नहीं बचती है अर्थात आवेदक भूमिहीन हो जायेगा । कलेक्टर का उक्त आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत न होने से निरस्ती योग्य है ।

4-3-17
K.K. Dwivedi

3. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा किया है कि आवेदक द्वारा भूमि अपने बच्चों की शादी और घर बनाने के लिए बेचना चाहा है ।

4. यहकि, आवेदक के पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त 1.643 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो आवेदक एवं उसके परिवार के जीवन यापन के लिए

N.P

R 786 B/17 (...)

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 4.5.17 | आवेदक नकि. ... त्रिवेदी उपस्थित प्रकरण ... हेतु<br>dt 11.8.17<br>[illegible] | 11.8.17 |
| 2/6/17 | आवेदक अधिवक्ता श्री के० के० त्रिवेदी उपस्थित होकर अनुरोध किया गया है कि प्रकरण नहीं चलाना चाहते। अतः प्रकरण नहीं चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।<br>[illegible] | Not Pressed<br>Not Pressed<br>[illegible]<br>2-6-17<br>[illegible] |

शाक्षेमुद्रणा—766—फॉर्म—23-3-13—10,000 प्रपत्र.